A2
3

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर

प्रकरण संख्या :–3 / 17 दायरा दिनांक 12.07.17

1. बलवन्त कौर पत्नी मोहर सिंह निवासी 9 डब्ल्यु
2. जसविन्द्र कौर पुत्री मोहर सिंह पत्नी सुखविन्द्र सिंह नि. 44 जी.जी.
3. सुखप्रीत कौर पुत्री मोहर सिंह पत्नी सुखजिन्द्र सिह नि. समेजा कोठी
4. हरपाल कौर पुत्री मोहर सिंह पत्नी बलविन्द्र सिंह समेजा कोठी
5. वीरपाल कौर पुत्री मोहर सिंह पत्नी वरण सिंह नि. अमर सिंह वाला

..............................अपीलांटस

बनाम

तहसीलदार करनपुर जिला गंगानगर जरिये स्टेट ....रैस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार 29.06.216

उपस्थित अधिवक्ताः–

1. राजकीय अधिवक्ता, राज्य पक्ष की ओर से
1. श्री जीतपालसिंह सैनी एडवोकेट जरिये रैस्पोडेंट

निर्णय Pronounced 7/2/18

अपीलांट द्वारा तहसीलदार श्री करणपुर के आदेश दिनांक 29.06.16 के खिलाफ धारा 75 एल आर एक्ट के तहत अपील पेश की गई है।

अपील के सार में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट द्वारा अपील में दर्ज किया है कि चक 9 डब्ल्यु के खाता संख्या 34 / 31 व खाता संख्या 11 में 2.113 हैक्टर रकबा मोहर सिंह के नाम से दर्ज था मोहर सिंह की मृत्यु होने के कारण तहसीलदार के आदेश से भूमि का विरासतन इन्तकाल मोहरसिंह के वारिसान के नाम से इन्तकाल संख्या 413 व 465 दर्ज हो गया। इसके प्श्चात राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प 25 एच दलपतसिंहपुर में उक्त इन्तकाल संख्या 465 को पुनरीक्षण कर दिनाक 26.09.16 को खारिज कर दिया। पुनरीक्षण करते समय अपीलांटस को कोई नोटिस नहीं दिया। पुनरीक्षण की शक्तियां राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत तहसीलदार को नहीं हैं। तहसीलदार का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर है। तहसीलदार द्वारा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 श्री गंगानगर के आदेश दिनांक 3.5.16 के आधार पर इन्तकाल निरस्त किया है। उक्त सिविल वाद पानी की बारी में किसी प्रकारसे परिवर्तन रोकने के लिये किया गया था जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई थी केवल अध्यक्ष जल उपयोक्ता संगम ने सिविल न्यायाधीश संख्या 1 के समक्ष अण्डर टेकिंग पेश की थी। जिससे जल उपयोक्ता संगम बाध्य था अन्य कोई पक्षकार बाध्य नहीं था। तहसीलदार द्वारा मनमाने तौर पर इन्तकाल निरस्त कर दिया जबकि अपील में ही इन्तकाल निरस्त किया जा सकता है। विरासतन इन्तकाल सही था केवल यथा–स्थिति का हवाला देकर इन्तकाल निरस्त किया गया है। रिकार्ड पर कोई स्पष्ट गलती हो तो तहसीलदार द्वारा केवल पुनरावलोकन किया जा सकता है। आदेश अदालत मातहत खारिज फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई , रैस्पो0 व रिकार्ड तलब किया गया।

राजकीय अधिवक्ता का बहस के दौरान तर्क है कि अदालत मातहत द्वारा विरासतन इन्तकाल 29.6.16 को सिविल न्यायाधीश श्री गंगानगर के आदेश 3.5.16 की पालना मे दिनांक 12.7.16 तक की यथास्थिति के बाद पुनरीक्षण में इन्तकाल संख्या 465 दिनांक 28.616 खारिज किया जाता है राजकीय अधिवक्ता द्वारा यह माना कि पत्रावली पर 3.5.16 का यथास्थिति का कोई आदेश नहीं है।

बहस उभय पक्षीय सुनी गई। सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा बहस में कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासतन इन्तकाल किये जाने के पश्चात सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 श्री गंगानगर के आदेश दिनांक 3.5.16

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

दिनांक 29.6.2016

A2/5

के आधार पर इन्तकाल निरस्त किया है। उक्त सिविल वाद पानी की बारी में किसी प्रकार से परिवर्तन रोकने के लिये था, जिसमें निषेधाज्ञा नहीं थी जिससे

जल उपयोक्ता संगम बाध्य था अन्य कोई पक्षकार बाध्य नहीं था। तहसीलदार द्वारा विधि विरूद्ध इन्तकाल निरस्त कर दिया जबकि अपील में ही इन्तकाल निरस्त किया जा सकता है। विरासतन इन्तकाल सही था केवल यथा–स्थिति का हवाला देकर इन्तकाल निरस्त किया गया है। रिकार्ड पर कोई स्पष्ट गलती हो तो तहसीलदार द्वारा केवल पुनरावलोकन किया जा सकता है। आदेश अदालत मातहत खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली व मातहत अदालत के रेकार्ड का अवलोकन किया गया। मोहरसिंह की आराजी का इन्तकाल संख्या 465 बहक जायज वारिसान दिनांक 28.06.16 को किया गया। इसके बाद दिनांक 29.6.16 को राजस्व लोक अदालत 'न्याय आपके द्वार' कैम्प 25 एच में इन्तकाल संख्या 465 का मातहत अदालत द्वारा पुनरीक्षण किया गया कि सिविल न्यायाधीश एवम न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 श्री गंगानगर के आदेश दिनांक 3.5.16 की पालना में दिनांक 12.7.16 तक की यथास्थिति के बाद को इन्तकाल हाजा खारिज किया गया। रेकार्ड का अवलोकन किया गया। इन्तकाल हाजा की पुश्त पर तहसीलदार द्वारा 29.06.016 को अंकित किया गया है कि

"चक 9 डब्ल्यु के विरासतन इन्तकाल का पुनरीक्षण किया गया पाया कि इसमें सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सं0 1 श्रीगंगानगर के आदेशानुसार 3.5.16 की पालना में दिनांक 12.7.16 तक की यथास्थिति के बाद पुनरीक्षण में आज दिनांक 29.6.16 को इन्तकालसं0 465 निर्णय दिनांक 28.6.16 को खारिज किया जाता है।"

पत्रावली पर अथवा इन्तकाल पंजिका पर 3.5.16 का न्यायिक आदेश संलग्न नहीं है। माननीय सिविल न्यायालय की आदेशिका के अनुसार लक्ष्मणसिंह द्वारा अध्यक्ष जल उपयोक्ता संगम व अन्य के विरूद्ध उसके हक में वसीयत होने का कथित करते हुए पानी की बारी में किसी प्रकार से परिवर्तन करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने पर 10.5.16 को सीगेदार की रिपोर्ट हेतु आदेशित किया गया तत्पश्चात रीडर रिपोर्ट अदिनांकित के बाद दिनांक 8.4.17 को लक्ष्मण सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र विदड्रा किये जाने के कारण प्रा. पत्र फैसल शुमार किया गया। पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद दिनांक 3.5.16 का आदेश अपीलांट अथवा रैस्पो. द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह ज्ञात हो कि माननीय सिविल न्यायालय द्वारा क्या आदेश पारित किया गया ?

अतः अपील स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश 29.6.16 अपास्त किया जाता है कि यदि माननीय सिविल न्यायालय का 3.5.16 अस्तित्व में हो तो उसकी प्रथमतः पालना हो।

आदेश की प्रति अदालत मातहत को मूल अभिलेख के साथ अविलम्ब भेजी जावे।

पत्रावली बाद तरतीब तकमील हस्ब जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता),
श्रीगंगानगर

क्रमांक : सम/18/232 दिनांक :- 8/2/18

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करणपुर को निर्णय प्रति मय मूल रिकार्ड पालनार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर